

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या :- 203/2024

1. नोपाराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। -- वादी

बनाम

1. गुरदयाल पुत्र आदूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. काशीराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. मनीराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. प्रेमकुमार पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. रोहिताश कुमार पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 12-08-2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-08-2024 को स्वाति

गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम

निर्णय के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी नोपाराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 210/352(19) किला नम्बर 1/0.253, 2/0.253, 3/0.020 हैक्टर पश्चिमी दिशा (रास्ता छोड़कर), 9/0.104 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 10/0.253 हैक्टर कुल 0.883 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 गुरदयाल को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 210/351(10) किला नम्बर 18, 19, 20/0.759 हैक्टर, 21/0.124 हैक्टर पश्चिमी दिशा कुल 0.883 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 काशीराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 210/351(10) किला नम्बर 21/0.129 हैक्टर पूर्वी दिशा, 22/0.253

हैक्टर, 23/ 0.251, 24/0.241 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 25/0.009 हैक्टर पश्चिमी दिशा (रास्ता छोडकर), 23/0.002 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता उत्तरी पूर्वी कॉनर, 24/0.012 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता उत्तरी दिशा, पूर्व से पश्चिम कुल 0.897 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 210/352(19) किला नम्बर 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 7, 8/0.506 हैक्टर, 9/0.149 हैक्टर पूर्वी दिशा कुल 0.908 हैक्टर।

(ड) प्रतिवादी संख्या 4 प्रेम कुमार, प्रतिवादी संख्या 5 रोहिताश कुमार ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 ए.जी. के पत्थर नम्बर 210/351(10) किला नम्बर 25/0.206 हैक्टर पूर्वी दिशा, 25/3/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 25/0.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, पत्थर नम्बर 210/352(19) किला नम्बर 3/0.221 हैक्टर पूर्वी दिशा, 4/0.241 हैक्टर, 5/0.215 हैक्टर उत्तरी दिशा, 5/3/0.026 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 3, 4, 5, प्रत्येक में 0.012 हैक्टर चौडा रास्ता गैर मुमकिन दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम कुल 0.983 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 5 ए.जी. के खाता संख्या 41/33 में से कासीराम, गुरदयाल, मनीराम का नाम कलमजन, इसी चक के खाता संख्या 42/34 में से नोपाराम का हिस्सा कम, इसी चक के खाता संख्या 24/19 में से गुरदयाल का हिस्सा कम, इसी चक के खाता संख्या 19/15 में से कासीराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किरसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी